अनुदान संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)
GRANT No. 19 - MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
मूल	*Original*	*72,00*	*2,93,00*	*2,20,61*	*-72,39*
पूरक	*Supplementary*	*2,21,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	32049,29,00	37126,65,00	36498,66,54	-627,98,46
पूरक	Supplementary	5077,36,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				45,92,29
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*35,00,00*	*30,91,73*	*-4,08,27*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*15,00,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	11589,99,00	12090,02,00	8035,37,42	-4054,64,58
पूरक	Supplementary	500,03,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4059,08,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, समग्र बचतें (*₹72.39 लाख*) दिसंबर, 2022 में प्राप्त *₹221.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 33 प्रतिशत और कुल *विनियोग* का 25 प्रतिशत हैं।

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत *₹ 59.00 लाख* का कुल *विनियोग* (*₹12.00 लाख* के पूरक *विनियोग* सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (₹62798.46 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹507736.00 लाख के पूरक अनुदान का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत हैं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹ 72.39 lakhs*) constituted 33 percent of the supplementary *appropriation* of *₹221.00 lakhs* obtained in December, 2022 and March, 2023 and 25 percent of the total sanctioned *appropriation.*

(I) *Appropriation* of *₹ 59.00 lakhs* (including supplementary *appropriation* of *₹ 12.00 lakhs*) remained wholly unutilised under four heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹62798.46 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary provision of ₹507736.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	306392.00			
पू.	S.	85188.00	399833.00	378542.12	-21290.88
पु.	R.	8253.00			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	634671.00			
पू.	S.	102548.00	733795.71	716051.13	-17744.58
पु.	R.	-3423.29			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	167840.00	169335.00	164214.57	-5120.43
पु.	R.	1495.00			
मुख्य शीर्ष "2075"	Major Head "2075"				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	1980000.00	2283600.00	2276040.33	-7559.67
पू.	S.	320000.00			
पु.	R.	-16400.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	550.00	50.00	..	-50.00
पु.	R.	-500.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा पुल	Roads and Bridges				
मू.	O.	100000.00	105000.00	99147.44	-5852.56
पु.	R.	5000.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2552" – "सडक और पुल – सीमा सडक संगठन" के अंतर्गत ₹550.00 लाख का प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित

(I) Provision of ₹550.00 lakhs remained wholly unutilised under Major Head "2552" - "Road & Bridges - Border Roads Organisation" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of

किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समक्ष दर्शाये अनुसार पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा :–

(का) "सचिवालय – रक्षा मंत्रालय (डी ओ डी)" के अंतर्गत – ₹23628.00 लाख का मूल प्रावधान ₹926.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹24554.00 लाख तक बढाया। तथापि, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में यात्रायें करने, कम संख्या में चिकित्सा दावे प्राप्त होने, नए परामर्शदाताओं को नहीं लिए जाने, और विज्ञापनों और प्रचार, आई टी उपकरणों की खरीद और वेतन और भत्तों, सामान्य सहायता अनुदान संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹7663.47 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(खा) "अन्य कार्यालय – रक्षा लेखा विभाग (डी ए डी)" – ₹223090.00 लाख का मूल प्रावधान ₹3121.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹226211.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में यात्रायें करने और कम संख्या में चिकित्सा बिल प्राप्त होने के कारण ₹10266.66 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के समक्ष दर्शाये अनुसार अप्रयुक्त रहा :–

(का) मुख्य शीर्ष "2037" – "निवारक और अन्य कार्य – तट रक्षक गार्ड संगठन" – ₹306392.00 लाख का मूल प्रावधान ₹85188.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹391580.00 लाख तक बढाया गया था, जो, तथापि, अंतर सेवा समायोजन वाउचरों को निपटने में देरी होने और स्थापना संबंधी अन्य व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹13037.88 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहे।

North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2052" remained wholly unutilized under the following heads as shown against each: -

(A) "Secretariat - Department of Defence (DoD)" - the original provision of ₹23628.00 lakhs was augmented to ₹24554.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹926.00 lakhs. However, there was a saving of ₹7663.47 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less medical claims, non-engagement of new consultants and requirement of less funds towards pay and allowances, Grant-in-aid General, advertising and publicity, IT procurements and office expenses.

(B) "Other Offices - Defence Accounts Department (DAD)" - the original provision of ₹223090.00 lakhs was augmented to ₹226211.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3121.00 lakhs. However, there was a saving of ₹10266.66 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, and receipt of less medical claims.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2037" - "Preventive & Other Functions - Coast Guard Organisation" - the original provision of ₹306392.00 lakhs was augmented to ₹391580.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹85188.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹13037.88 lakhs - due to delay in settlement of Inter Services Adjustment vouchers and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(खा) मुख्य शीर्ष "2052" – "अन्य कार्यालय – रक्षा संपदा संगठन (डी ई ओ)" – ₹39628.00 लाख का मूल प्रावधान ₹39263.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹78891.00 तक बढाया गया, जो, तथापि रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, कम संख्या में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए कम निधियों की आवशयकता के कारण ₹3020.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहे।

(B) Major Head "2052" - "Other Offices - Defence Estate Organisation (DEO)" - the original provision of ₹39628.00 lakhs was augmented to ₹78891.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹39263.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹3020.00 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of training programmes, receipt of less medical re-imbursement claims and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(गा) मुख्य शीर्ष "2075" – "केंटीन भंडार विभाग (सी एस डी) – केंटीन सेवायें निदेशालय" – ₹1980000.00 लाख का मूल प्रावधान ₹320000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2300000.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में यात्रायें करने, व्यावसायिक सेवाओं, ब्याज, सामान्य अनुदान सहायता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ठेके दारों से आपूर्ति और सामग्रियों, तुच्छ मरम्मत कार्यों की अनुमति नहीं मिलने से कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में प्रावहान में कटौती किए जाने के कारण ₹23959.67 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) Major Head "2075" - "Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services"- the original provision of ₹1980000.00 lakhs was augmented to ₹2300000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹320000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹23959.67 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, requirement of less funds towards professional services, interest, grants-in-aid general, medical reimbursements, supply and materials from contractors, non-sanction of minor repair works and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – सचिवालय – रक्षा उत्पादन विभाग (डी पी)" के अंतर्गत – ₹2644.71 लाख की बचत (₹12113.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में दौरे करने, और पूंजीगत आस्तियों को सृजित करने के लिए अनुदान और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Defence Production (DP)" - saving of ₹2644.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12113.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, requirement of less funds towards grants for creation of capital assets and other establishment related expenses.

(V) मुख्य शीर्ष "2055" – "विशेष पुलिस – जे एंड के लाइट इंफेंट्री (जे ए के एल आई) के सम्बंध में अदा किया गया प्रभार" के अंतर्गत – ₹3625.43 लाख की बचत (₹167840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोखिम तथा कठिनाई भत्ते सहित वेतन और भत्तों, पी ओ एल सहित कार्मिकों और भंडार, आपूर्ति की आवाजाही के लिए कम निधियों की आवश्यकता और संविदाओं के प्रति विचलन के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2055" - "Special Police- Charges paid in respect of J&K Light Infantry (JAKLI)" - saving of ₹3625.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹167840.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances including risk and hardship allowance, movement of personnel & stores, supplies including POL & provisions and slippages against the contracts.

(VI) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामरिक और सीमा सडकें– सडक निर्माण कार्य – सीमा सडक संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव" के अंतर्गत – ₹1021.31 लाख की बचत (₹16500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औपचारिकतायें पूरी नहीं होने के कारण जी ई एम / एस ओ को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3054" - "Strategic and Border Roads - Road works - Maintenance of NHs by Border Roads Organisation" - saving of ₹1021.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16500.00 lakhs) was due to non-materialisation of GeM/SOs bills owing to pending formalities.

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹772.09 लाख (₹24.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक, किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 36 प्रतिशत थीं ।

(VII) Under two heads savings of ₹772.09 lakhs (including supplementary grant of ₹24.00 lakhs) occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 18 percent and 36 percent of the total sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – सीमा सडक संगठन" के अंतर्गत – ₹3287.41 लाख के अधिक व्यय (₹59214.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹391950.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं, अधिक व्यय कपडों और टेंटों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, राशन, चिकित्सा दावों की लागत और ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिट्टी के तेल की व्यवस्था करने के लिए लंबित देयताओं को निपटाने के लिए निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2052" - "Secretariat - Border Roads Organisation" - excess of ₹3287.41 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹391950.00 lakhs including supplementary grant of ₹59214.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clothing and tentage, clearance of pending liabilities towards cost of ration, medical claims and provisioning of K-Oil in High Altitude Area.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में अभ्यर्पित की गई राशि (*₹1500.00 लाख*) *₹408.27 लाख* की समग्र बचतों से अधिक थी।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the amount surrendered (*₹1500.00 lakhs*) exceeded the overall savings of *₹408.27 lakhs.*

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹408.27 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

(I) Under one head saving of *₹ 408.27 lakhs* occurred constituting 12 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में समग्र बचतें (₹405464.58 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹50003.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित की गई (₹405908.00 लाख) की राशि भी समग्र बचतों से अधिक थी।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹405464.58 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹50003.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 34 percent of the total sanctioned provision. Amount surrendered (₹405908.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4047"	Major Head "4047 "				
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	424637.00			
पू.	S.	1.00	330000.00	330025.40	+25.40
पु.	R.	-94638.00			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	18453.00			
			5559.00	3017.14	-2541.86
पु.	R.	-12894.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	35000.00			
पू.	S.	5001.00	..	..	..
पु.	R.	-40001.00			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	669000.00			
पू.	S.	45001.00	455750.00	458939.47	+3189.47
पु.	R.	-258251.00			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹390001.00 लाख का प्रावधान (₹5001.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा :–

(I) Provision of ₹390001.00 lakhs (including supplementary grant of ₹5001.00 lakhs) remained wholly unutilized under the following Major Heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “4552” – “सडक निर्माण कार्य – सडक स्कंधों और बी आर ओ के अंतर्गत सडक निर्माण कार्य”– ₹40001.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण।

(A) Major Head “4552” - “Road Works - Road Development works under Road Wings and BRO” - ₹40001.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष “5054” – “सामरिक और सीमा सडकें– आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – सीमा सडक संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य” – ₹350000.00 लाख– वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में पटौती किए जाने के कारण।

(B) Major Head “5054” - “Strategic and Border Roads - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Works under Border Roads Organisation” - ₹350000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष “4047” – “सीमा शुल्क – तट रक्षक संगठन” के अंतर्गत – ₹94612.60 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक पूरक अनुदान सहित ₹424638.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, मशीनरी और उपकरणों, भारतीय तट रक्षक बल के लिए जहाजों, वायुयान और बेडा अधिग्रहण करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता और विभिन्न नई योजनाओं के फलीभूत नहीं होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “4047” - “Customs - Coast Guard Organisation” - saving of ₹94612.60 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹424638.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, requirement of less funds towards machinery and equipment, acquisition of ships, aircraft & fleet for Indian Coast Guard and non-fructification of various new schemes.

(III) मुख्य शीर्ष “4059” – “अन्य भवन – निर्माण कार्य” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head “4059” - “Other Buildings - Construction” - savings occurred under the following heads : -

(का) “रक्षा लेखा विभाग” – ₹562.69 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बडी परियोजनाओं अर्थात राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन अकादमी, पुणे के नए परिसर, अमृतसर में कार्यालय आवास और गुवाहाटी में तीन परियोजनाओं के लिए संविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

(A) “Defence Accounts Department” - saving of ₹562.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to non-finalisation of contract and non-utilisation of funds for big projects viz. new campus of National Academy of Financial Management, Pune, office accommodation at Amritsar and three projects at Guwahati.

(खा) “रक्षा संपदा संगठन” – ₹14844.80 लाख की बचत (₹17003.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(B) “Defence Estate Organisation” - saving of ₹14844.80 lakhs (against the sanctioned provision of

रक्षा भूमि के आइसोलेटेड पाकेट के खंभों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने और कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।

₹17003.00 lakhs) was due to non-finalisation of work of boundary pillars of isolated pockets of Defence land and non-receipt of sanction for construction of office buildings.

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹91749.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5054" – "सामरिक और सीमा सडकें – सडक निर्माण – सीमा सडक संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि ₹94938.47 लाख का वास्तविक अधिक व्यय हुआ।

6. The above savings were partly (₹91749.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "5054" - "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under Border Roads Organisation". Actual excess, however, was ₹94938.47 lakhs.